प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

03 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद, कुल 19 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र के तीन अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.02.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 22/23.02.2021 को थाना महमूदाबाद, लहरपुर, सकरन की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान विभिन्न स्थानों से कुल तीन अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए कुल 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मौके पर कुल 13 निर्मित अवैध शस्त्र, 06 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 03 पाइप तथा 11 कारतूस बरामद हुए है। तीनों अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में थाना महमूदाबाद, लहरपुर, सकरन पर अभियोग अंतर्गत आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी है, जो काफी समय पूर्व से ही अवैध शस्त्र बनाने के कार्यों में लिप्त हैं एवम् **आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रो की मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण एवम् विक्रय की तैयारियां कर रहे थे।** इन तमंचो को जनपद सीतापुर के अतिरिक्त अन्य जनपदों में विक्रय करके जीविकोपार्जन करते हैं। उपरोक्त अभियुक्तों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास दर्ज है एवम् अवैध शस्त्र निर्माण जैसे आपराधिक कृत्य में जेल चुके हैं। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहे के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

थानावार विवरण निम्न है-

थाना महमूदाबाद

दिनांक 22/23.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी महमूदाबादा के कुशल नेतृत्व में थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुये अभियुक्त रिजवान पुत्र स्व मन्सूर थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर को ग्राम वाकरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 04 अदद निर्मित अवैध शस्त्र,02 अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 02 कारतूस, 03 अदद पाइप तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। अभियुक्त रिजवान उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं।

- **पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0 63/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर।

- **अभियुक्त का नाम व पता**- रिजवान पुत्र स्व मन्सूर थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर

- **बरामदगी विवरण**– 04 अदद निर्मित अवैध शस्त्र,02 अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 02 कारतूस, 03 अदद पाइप तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

- **गिरफ्तारी करने वाली थाना महमूदाबाद पुलिस टीम**–

  1. उ0नि0 श्री अमित कुमार दुबे
  2. उ0नि0 श्री एजाज अहमद
  3. हे0का0 संतोष गिरी
  4. हे0 का0 रंजीत यादव
  5. हे0 का0 परवेज खान
  6. का0 सुनील कुमार

- **आपराधिक इतिहास**-

  1. मु0अ0सं0 245/05 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसवां, सीतापुर।
  2. मु0अ0सं0 120/07 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना बिसवां, सीतापुर
  3. मु0अ0सं0 355/10 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसवां, सीतापुर।

थाना लहरपुर

दिनांक 23.02.2021 को चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी लहरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री को बरामद करते हुये अभियुक्त प्रेम चंद्र पुत्र मूलचंद्र उर्फ मुल्लू रैदास नि0 इब्राहिमपुरवा थाना तम्बौर, जनपद सीतापुर को ग्राम तेजवापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 07 अदद अवैध शस्त्र, 01 अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 07 अदद कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। अभियुक्त प्रेम चंद्र उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध अवैध शस्त्र जैसे अभियोग जनपद लखीमपुर,खीरी में भी पंजीकृत हैं।

- **पंजीकृत अभियोग-**
    1. मु0अ0सं0 91/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना लहरपुर,सीतापुर।
    2. मु0अ0सं0 92/21 धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम थाना लहरपुर,सीतापुर।
- **अभियुक्त का नाम व पता-** प्रेम चंद्र पुत्र मूलचंद्र उर्फ मुल्लू रैदास नि0 इब्राहिमपुरवा थाना तम्बौर, जनपद सीतापुर
- **बरामदगी विवरण–**07 अदद अवैध शस्त्र, एक अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 07 अदद कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

- **गिरफ्तारी करने वाली थाना लहरपुर पुलिस टीम–**
    1. उ0नि0 श्री संतकुमार सिंह
    2. हे0का0 अनूप कुमार चतुर्वेदी
    3. हे0का0 जितेंद्र यादव
    4. का0 अवधेश बहादुर सिंह
    5. का0 अंकुश कुमार
- **आपराधिक इतिहास-**
    1. मु0अ0सं0 260/10 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना ईशानगर, लखीमपुर खीरी।
    2. मु0अ0सं0 261/10 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना ईशानगर, लखीमपुर खीरी।
    3. मु0अ0सं0 91/21 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना लहरपुर,सीतापुर।
    4. मु0अ0सं0 92/21 धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम थाना लहरपुर,सीतापुर।

थाना सकरन

दिनांक 23.02.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी बिसवां के कुशल नेतृत्व में थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुये अभियुक्त प्रकाश पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम लालबहादुर पुरवा थाना सकरन सीतापुर को ग्राम लालबहादुरपुरवा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 03 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। अभियुक्त प्रकाश उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

- **पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0 78/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
- **अभियुक्त का नाम व पता**- प्रकाश पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम लालबहादुर पुरवा थाना सकरन सीतापुर
- **बरामदगी विवरण**–02 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 03 अदद अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद
- **गिरफ्तारी करने वाली थाना सकरन पुलिस टीम–**
    1. थानाध्यक्ष श्री पुष्पराज कुशवाहा
    2. हे0का0 रामधनी वर्मा
    3. का0 राहुल वर्मा
    4. का0 रानू प्रताप चौधरी
    5. का0 अर्जुन सिह
- **आपराधिक इतिहास-**
    1. मु0अ0सं0 39/95 धारा 332 भादवि व 13 लोक सम्पति प्रतिषेध निवारण अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
    2. मु0अ0सं0 39/95 धारा 332 भादवि 3/97 उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
    3. मु0अ0सं0 30/03 धारा 5/25 A Act थाना सकरन सीतापुर
    4. मु0अ0सं0 31/03 धारा 3/25 A Act थाना सकरन सीतापुर
    5. मु0अ0सं0 46/03 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सकरन सीतापुर
    6. मु0अ0सं0 59/05 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सकरन सीतापुर
    7. मु0अ0सं0 60/05 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
    8. मु0अ0सं0 212/14 धारा 25(1)(B) आयुध अधिनियम थाना सकरन सीतापुर
    9. मु0अ0सं0 78/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना सकरन सीतापुर

airtel
जनपद - सीतापुर
airtel
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
1090
PS MAHMUDABAD

कोतवाली लहरपुर
जनपद सीतापुर

थाना सकरन-जनपद-सीतापुर